Fundamental Rights (मौलिक अधिकार)

भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 07 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्न 06 मौलिक अधिकार प्राप्त है।

(i) समानता का अधिकार (ii) स्वतन्त्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (iv) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (v) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14-18)-

समानता का अधिकार प्रजातन्त्र का आधार-स्तम्भ है।

अनुच्छेद-14, कानून के समक्ष समानता (Equality before the Law)-

अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द 'कानून के समक्ष समानता' ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर यह बन्धन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग्ज के अनुसार इसका अर्थ यह है कि "समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक-सा होना चाहिए। कानून का समान संरक्षण वाक्य अमरीकी संविधान से लिया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है।

कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के सम्बन्ध में धनी और गरीब में सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। Avinash

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद-15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, caste, Sex or Place of Birth)- अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-16, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर (Equality of opportunity in Matters of Public Employment)- अनुच्छेद 16 के अनुसार, सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस सम्बन्ध में केवल धर्म, मूल-वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। (संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं।)

अनुच्छेद-17, अस्पृश्यता का निषेध (Abolition of Untouchability) सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया है, इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनुच्छेद-18, उपाधियों का निषेध (Abolition of Titles)- अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत के वर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, आदि उपाधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती रही। जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, किन्तु 1980 में संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया गया।

Avinash